उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

सी0 सी0 ए0 वाद सं0 05/2022–23

सरकार.....वादी

बनाम

धननजंय सिंह.....प्रतिवादी

आदेश

29.09.2023

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवोकन किया।

अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि मामला पुलिस अधीक्षक, दुमका के पत्रांक–120/डी0सी0वी0, दुमका, दिनांक–25.02.2023 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रारंभ किया गया है, जिसमें पुलिस निरीक्षक –सह– थाना प्रभारी शिकारीपाड़ा के ज्ञापांक– 390/2023 दिनांक–10.02.2023 तद्नुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर पुलिस का कार्यालय का ज्ञापांक–109/ अनु0सदर दिनांक– 19.02.2023 के द्वारा प्रतिवादी धननजय सिंह, पिता–स्व0 राजेन्द्र प्रसाद सिंह सा0 थाना– शिकारीपाड़ा, जिला–दुमका के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 की धारा–3(a) के तहत् जिला बदर की कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है।

प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख है कि प्रतिवादी धननजय सिंह के विरूद्ध अवैध पत्थर खदान संचालित करने खदान में अवैध विस्फोटक का उपयोग करने एवं सरकारी राजस्व की चोरी करने के आरोप में जिला खनन पदाधिकारी, दुमका अंचल अधिकारी, शिकारीपाड़ा द्वारा शिकारीपाड़ा थाना में पूर्व से समर्पित किया गया लिखित शिकायत के आधार पर इस शिकारीपाड़ा थाना में कई प्राथमिकी दर्ज हुआ है एवं कानूनी कार्रवाई की गई है। अवैध पत्थर व्यवसाय में संलिप्त प्रतिवादी धननजय सिंह के विरूद्ध विगत अक्टूबर माह में दर्ज प्राथमिकी में उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था जो वर्तमान में न्यायालय से जमानत पर मुक्त हुआ है। ऐसी सूचना है कि जेल से छूटने के वाद धननजय सिंह के द्वारा पुनः अवैध पत्थर खदान संचालन कार्य शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। वह दबंग प्रवृति एवं कानून का अवहेलना करने वाला व्यक्ति है।

प्रतिवादी धननजय सिंह पिता–स्व0 राजेन्द्र सिंह के विरूद्ध दर्ज अपराधिक इतिहास एवं थाना सनहा का विवरण निम्न प्रकार है :–

1. शिकारीपाड़ा थाना काण्ड सं0–144/2020, दिनांक–17.12.2020, धारा–341/ 323/ 307/504/506 भा0द0वि0 एवं 3 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम।
2. शिकारीपाड़ा थाना काण्ड सं0–109/2021, दिनांक–07.09.2021, धारा–379 भा0द0वि0 एवं झारखण्ड लघु खनिज समानुदान नियमावली 2004 के नियम 4/54 तथा खान एवं खनिज विनियमन अधिनियम 1957 की धारा–21
3. शिकारीपाड़ा थाना काण्ड सं0– 157/2021, दिनांक–04.12.2021, धारा–4/54 झारखण्ड लघु खनिज समानुदान नियमावली 2004
4. शिकारीपाड़ा थाना काण्ड सं0–37/2022, दिनांक– 15.03.2022, धारा–4/54 झारखण्ड लघु खनिज समानुदान नियमावली 2004
5. शिकारीपाड़ा थाना काण्ड सं0–146/2022, दिनांक–18.11.22, धारा–379/411 भा0द0वि0 एवं झारखण्ड लघु खनिज समानुदान नियमावली 2004 के नियम 4/54 एवं खान खनिज विकास विनियमन अधिनियम 1957 की धारा–4/21 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा–3/4

दर्ज सनहा का विवरण :–

1. शिकारीपाड़ा थाना सनहा सं0–22/2023, दिनांक–03.02.2023
2. शिकारीपाड़ा थाना सनहा सं0–21/2023, दिनांक–05.02.2023

प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि अद्तन अवैध पत्थर उत्खनन कार्य में संलिप्त पत्थर माफिया धननजय सिंह के दबंग प्रकृति, इनके गलत प्रभाव के कारण क्षेत्र के लोग इनके अवैध कृत्य के बारे में प्रत्यक्ष रूप से कुछ बोलने एवं गवाही देने को तैयार नहीं होते है। फलस्वरूप इनके विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 की धारा 3(a) के तहत् जिला बदर की कार्रवाई करने की अनुशंसा किया गया है।

तत्पश्चात् पुलिस अधीक्षक, दुमका द्वारा किये गये अनुशंसा के आलोक में प्रतिवादी धननजय सिंह को कारण–पृच्छा की नोटिस निर्गत किया गया कि क्यों नहीं उन पर लगाया गया उक्त आरोप के आलोक में उन्हें जिलाबदर किया जाय। प्रतिवादी द्वारा दिनांक–19.05.2023 को न्यायालय में उपस्थित होकर कारण–पृच्छा दाखिल किया गया जिसमें उनके द्वारा उन पर लगाया गया सभी आरापों को निराधार एवं वेबुनियाद कहा गया है।

दिनांक–30.05.2023 को वाद के सुनवाई के क्रम में दिये गये आदेश के आलोक में इस कार्यालय के ज्ञापांक–78/डी0बी0 दिनांक–30.05.2023 के द्वारा पुलिस अधीक्षक, दुमका से प्रतिवादी धननजय सिंह के विरूद्ध "Arms Act/Explosive Act के तहत्

किसी प्रकार का मामला दायर किया गया है या नहीं" के संबंध में प्रतिवेदन की मांग की गई। पुलिस अधीक्षक, दुमका से पत्रांक–318/डी0सी0बी0 दिनांक–05.06.2023 के द्वारा प्रतिवदेन प्राप्त हुआ है, प्रतिवेदन में प्रतिवादी के विरूद्ध पूर्व में दर्ज मामले (थाना काण्ड संख्या) का ही उल्लेख है। इसके अलावे प्रतिवादी के विरूद्ध कोई नया प्राथमिकी थाना में दर्ज होने का प्रतिवेदन में उल्लेख नहीं है। दिनांक–11.07.2023 को विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा बहस के दौरान कहा गया कि इसके अलावें वर्तमान में विपक्षी के विरूद्ध Arms Act/Explosive Act के अन्तर्गत कोई मामला दर्ज नही किया गया है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी कहा गया कि मौजा–पौखरिया अंचल–शिकारीपाड़ा जमाबंदी नं0–30 के दाग सं0–1242 में खनन लीज को लेकर विवाद चल रहा है, जो वर्तमान में उच्च न्यायालय में लंबित है। प्रश्नगत जमीन ओम प्रकाश शर्मा, पिता–दलचन्द्र शर्मा, Propriter of M/S Mewar Enterprises खनन लीज हेतु लेना चाहता है तथा इस विवाद में उनका संलिप्ता है। विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा Propriter of M/S Mewar Enterprises को नोटिस करने हेतु अनुरोध किया गया। तद्नुसार ओम प्रकाश शर्मा, पिता–दिलचन्द्र शर्मा Propriter of M/S Mewar Enterprises को नोटिस निर्गत किया गया। उनके द्वारा दिनांक–12.09.2023 को अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन दाखिल कर कहा है कि ओम प्रकाश शर्मा को इस वाद से कोई संबंध नहीं है तथा विपक्षों के साथ उनका किसी प्रकार का विवाद नहीं है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि विपक्षी के विरूद्ध वर्तमान में कोई मामला दर्ज नहीं है जो भी मामला उनके विरूद्ध दर्ज है वह पूर्व का है, इन मामलों में कार्रवाई चल रही है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी धननजय सिंह के विरूद्ध जिलाबदर का आदेश पारित किया जाना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है, किन्तु उनके विरूद्ध दर्ज प्राथमिकी के संबंध में पुलिस अधीक्षक, दुमका द्वारा संज्ञान में लिया जाता है, साथ ही IPC एवं CrPC के धाराओं के अन्तर्गत चल रहे सभी मामलों का निगरानी रखा जाय।

प्रतिवादी धननजय सिंह को आदेश दिया जाता है कि सप्ताह में एक दिन शिकारीपाड़ा थाना के कार्यालय में तथा माह में एक दिन पुलिस अधीक्षक, दुमका के कार्यालय में आदेश निर्गत की तिथि से एक माह तक उपस्थित होंगे।

इसी समीक्षा के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

Digitally signed by Anjaneyulu Dodde
Date: 2023.10.18 16:34:34 +05:30
Location: 169.254.227.244

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त,
दुमका।